राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 505/2016

रमा सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. देवेन्द्र कुमार पाठक, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.04.2016
आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री निखिल जैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता (गृह विज्ञान) के पद पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में दिनांक 01.03.1997 को हुई तथा अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सपोटरा, जिला करौली में पदस्थापित किया गया। फिर बाद में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर में किया गया जहां अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2007 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वर्ष 2015 में अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाकर दिनांक 16.07.2015 (अनुलग्नक–1) द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूली, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर में पदस्थापित किया गया। संयुक्त निदेशक (कार्यकारी), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 9.12.2015 (अनुलग्नक–2) में उल्लेख किया गया था कि अपील संख्या 2439/2015 (देवेन्द्र कुमार पाठक बनाम राजस्थान राज्य) में अधिकरण ने स्थगन आदेश दिया गया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चूली, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर के प्रधानाचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और आगे यह भी आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता (रमा सिंह) उपरोक्त स्थगन आदेश के अस्तित्व तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बिचपुरी, खंडार (सवाईमाधोपुर) में प्रधानाचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। आदेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2015 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चूल, गंगापुर सिटी से कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को पुनः आलोच्य आदेश दिनांक

19.12.2015 (अनुलग्नक–3) द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 09.12.2015 को संशोधित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नायपुर, खण्डार, सवाईमाधोपुर में पदस्थापित किया गया है तथा इस आदेश द्वारा अपीलार्थी रमा सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूली, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी को उसके आदेश दिनांक 16.07.2015 द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और फिर उपरोक्त आदेश की स्वीकृति के बाद, वह तुरंत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चूली, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर में दिनांक 21.07.2015 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अतः स्थानांतरण आदेश के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 17.12.2015 तक कार्यरत रही। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने उपर्युक्त दोनों आलौच्य आदेशों में दिनांक 9.12.2015 और साथ ही 19.12.2015 पर रोक लगा दी है कि, ये आदेश उनके द्वारा दिनांक 19.12.2015 को पारित आदेश को लागू करने के लिए जारी किए जा रहे हैं। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील सं. 2439/2015. उपरोक्त उल्लिखित अपील प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील प्रस्तुत की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 9.12.2015 एवं 19.12.2015 को अपास्त करने एवं पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूली में पदस्थापित रखे जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है। राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त एंव दुरूस्त बनाने हेतु समय समय पर प्रशासनिक कारणों से अपने कार्मिक की सेवाएँ कही पर लेने हेतु छात्र हित में स्वतन्त्र हैं। अतः विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश वैद्य एंव सही तथा विधि सम्मत व न्यायोचित हैं। प्रत्येक लोकसेवक का प्रथम दायित्व हैकि वह अपनी राजकीय सेवाएँ उत्कृष्ट रूप से दे। सेवाएँ सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। इस प्रकार कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से नियोजक का क्षेत्राधिकार है कि वह अपने लोकसेवक का कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरण करता है। सक्षम अधिकारी अपीलार्थी का नियोजक है और प्रशासनिक कारणों से किया गया स्थानान्तरण या पदस्थापन उनके क्षेत्राधिकार में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिल्पी बोस बनाम स्टेट ऑफ विहार में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि स्थानान्तरण के मामलों में सामान्यतया न्यायालय को हस्तक्षेप नही करना चाहिए। उस स्थिति में ही प्रकरण हस्तक्षेप योग्य बनता है। जबकि जारी किया गया आदेश दुर्भावनापूर्ण मनमाना और बाध्यकारी नियम के उल्लंघन में जारी किया गया हो।

इसलिए इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं पायी गई जो कि नियमानुसार विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 09.12.2015 (अनुलग्नक–2), जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीचपुरी, खण्डार, सवाईमाधोपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन किया गया एवं आदेश दिनांक 19.12.2015 जिसके द्वारा पदस्थापन संशोधित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नायपुर, खण्डार किया है, को अपास्त करने का निवेदन किया है साथ ही निवेदन किया है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश जारी होने से पूर्व पदस्थापन स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूली, गंगापुर में ही पदस्थापित रखा जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील की बहस के दौरान अवगत कराया कि अपीलार्थी को पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नारायणपुर, सवाईमाधोपुर में पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण किए जाने से अपील सारहीन हो चुकी है। बहस के दौरान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया कि अपीलार्थी की राजकीय सेवा रिकार्ड के अनुसार जन्मतिथि 10.10.1959 होने पर अपीलार्थी दिनांक 31.10.2019 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुकी है एवं अपील स्थानान्तरण आदेश से संबंधित होने से इस आधार पर भी अपील सारहीन हो चुकी है।

उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.11.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य